

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी  
रेल मंत्रालय, दिल्ली  
नई दिल्ली  
12912 311  
806 638663 10  
दिनांक 27-12-2010

महोदय: जन सूचना अधिनियम 2005 के तहत हमने दिनांक 10-12-2009 को पल मेजकर कासगंज लुजा वाया अरौली नई रेलवे लाइन कांड के डामने के कार्य में जानकारी मांगी थी। जिसके सम्बन्ध में आपने दिनांक 1-1-2010 को कार्ड नं R.T.I Cell / 2009 / 01006457 के माध्यम से जवाब दिया कि कासगंज लुजा वाया अरौली की सर्वे रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेबिल (सीकियर एडमिनिस्ट्रेशन) के पास भिजा रखा है। हमने इसके बाद 1-2-2010 को कोर्ट का ऑर्डर संख्या 83E 741257 मूल्य 10 रु मेजकर लीन बिंदुओं पर आपसे जानकारी मांगी थी जो आपने 15-12-2010 तक हमें उपलब्ध नहीं कराई है। इसका क्या कारण है। क्या आपसे पुनः कुछ जानकारी चाहते हैं। कृपया उपलब्ध कराने की प्रार्थना करें।

6457

Ch  
J

10/1/2010

- कासगंज लुजा वाया अरौली नई रेलवे लाइन का सर्वे रिपोर्ट मई 2009 से रेलमंत्रालय में भिजा रखा है। मई 2009 से दिसम्बर 2010 तक 18 महीने के दौरान किलने अधिकाधिको ने इस सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन और परीक्षण कर ले लिया है और अब किलने अधिकाधिको को सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन और परीक्षण करना शेष रह गया है। कब तक निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया यह अधिकाधिको कब तक अपनी परीक्षण रिपोर्ट रेलवे कोड को उपलब्ध करा देंगे इसकी कोई समय सीमा है।
- क्या इस वर्ष आने वाले बजट सत्र में इस कासगंज लुजा वाया अरौली पर निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है।
- क्या यह सही है कि इस रेल लाइन के फंडने से दिल्ली से जानपुर को एक नया इन्टर सिटी टिकट सेवा दिल्ली जानपुर रत वाया डून्डगाँव एवं दिल्ली जानपुर रत वाया इसगंज रेल लाइन का (व्याप्त) दिल्ली जानपुर वाया अरौली होते हुए जानपुर तक डून्डगाँव की अपेक्षा 60 कि०मी कम है। अधिकाधिको व मातृ संस्था के द्वारा